भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बरेली
Project Implementation Unit, Bareilly
282/01, ग्रेटर ग्रीन पार्क, बिशप कॉनरोड स्कूल के पास, बरेली - 243 006 (उ.प्र.)
282/01, Greater Green Park, Near Bishop Conrad School, Bareilly - 243 006 (U.P.)
फोन/Tel.: +91-5812523752 • ई-मेल/E-mail : bareilly@nhai.org, piubareilly@gmail.com

सत्यमेव जयते

भा रा रा प्रा NHAI

17003/4/PKG-2A-1/2022/प.का.इ.-बरेली/1826/ 15.06.2023

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
वन एवं वन्यजीव प्रभाग
शाहजहाँपुर।

विषयः जनपद शाहजहाँपुर में हरदोई–लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 731 के किमी 88.750 से किमी 123.650 तक चार लेन चौड़ीकरण कार्य के अर्न्तगत प्रभावित 10.9075 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 1262 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट एवं हरदोई वन प्रभाग के अनर्तगत 1.2540 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 152 वृक्षों के पातन/ ट्रान्सप्लान्ट अर्थात कुल 12.1615 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1414 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के संबंध में। (Proposal no.- FP/UP/ROAD/157254/2022).

संदर्भः 1. आपका पत्रांक 3371/14–1 शाहजहाँपुर दिनांक 24.04.2023.
2. प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा का पत्रांक 5554/14–1 आगरा दि0 14.06.2023

महोदय,

उपरोक्त अपने संदर्भित पत्र दिनांक 24.04.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मुख्य वन संरक्षक नोडल अधिकार उ0 प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 20.04.2023 प्रेषित करते हुए विषयक प्रकरण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पूर्व में चयनित क्षेत्र को संशोधित करते हुए आगरा वन प्रभाग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि का उपयुक्तता प्रकरण पत्र, क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन, Geo Referenced Digital Map, Sol Toposheet, Geo Coordinates, KML File आदि अभिलेख प्रभागीय निदेशक सा0वा0 प्र0 आगरा से समन्वयन स्थापित कर शीघ्र उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. उपरोक्त संबंध में अवगत कराना है कि प्रभागीय निदेशक सा0वा0 प्र0 आगरा ने पत्र सदर्भ संख्या–2 (पत्र दिनांक 14.06.2023) द्वारा विषयक वन प्रस्ताव से संबंधित भूमि का उपयुक्तता प्रकरण पत्र, क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन, Geo Referenced Digital Map, Sol Toposheet, Geo Coordinates, KML File आदि अभिलेख आपको प्रेषित कर दिया गया है। साक्ष्य के तौर पर प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, आगरा के पत्र दिनांक 14.06.2023 की प्रति संलग्न है।

3. अतः आपसे अनुरोध है कि विषयक वन प्रस्ताव पर प्राथमिकता पर अग्रिम कार्यवाही करते हुए संबंधित उच्चाधिकारियों को अग्रसारित करने का कृपा करें, जिससे कि सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त किया जा सके।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(बी0पी0 पाठक)
परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सादर सूचनार्थ प्रेषित :
(1) क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. पश्चिम, भा.रा.रा. प्राधिकरण, लखनऊ।
(2) नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
(3) वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 बरेली वृत्त, बरेली।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

पत्रांक ...... / 14–1 आगरा : दिनांक : जून 2023

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
शाहजहाँपुर।

विषय : राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–731 के हरदोई–लखनऊ मार्ग के किमी0 88.750 से किमी0 123.650 तक चार लेन चौड़ीकरण कार्य के अन्तर्गत जनपद शाहजहाँपुर के अन्तर्गत प्रभावित 10.975 हे0 एवं हरदोई वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.2540 हे0 कुल 12.1615 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ : मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–3369/11सी दिनांक 20.04.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में प्रभावित वनभूमि के बदले 25.0 हे0 क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रामपुर चन्द्रसैनी, 10.0 हे0 विचौला 10.0 हे0 एवं फरैरी वन ब्लाक 5.0 हे0 क्षेत्र के उपयुक्तता प्रमाण पत्र, प्राक्कलन 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित, तथा जियो रिफ्रेंश मैप एवं टोपोसीट तथा के0एम0एल0 फाइल संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(आदर्श कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक / दिनांकित

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी बाह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आदर्श कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

Com-1/Drafting/Letter-20/107

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, शाहजहांपुर।

पत्रांक 3371 /14–1 शाहजहांपुर दिनांक 24/04/2023

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
भा0रा0प्राधि0 282/01 ग्रेटर ग्रीन पार्क
विशप कानरोड स्कूल के पास बरेली

विषयः– जनपद शाहजहॉपुर में हरदोई–लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग 731 किमी0 88.750 से 123.650 तक चार लेन चौड़ीकरण कार्य में शाहजहॉपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित 10.9075 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 1262 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट एवं हरदोई वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.2540 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 152 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट अर्थात कुल 12.1615 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति एवं बाधक 1414 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बंध में (Package-2A) (Proposal no FP/UP/ROAD/157254/2022)

सन्दर्भः– मुख्य वन संरक्षक नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 3365/11–सी दिनांक 20–04–2023

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि विषयक प्रकरण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पूर्व में चयनित क्षेत्र को संशोधित करते हुए आगरा वन प्रभाग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु संदर्भित पत्र के कम में चयनित भूमि का उपयुक्ता प्रमाण–पत्र, क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन, Geo Referenced Digital Map, Sol Toposheet, Geo Coordinates, KML File आदि अभिलेख प्रभागीय निदेशक सा0वा0प्र0 आगरा से समन्वय स्थापित कर शीघ्र कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीप प्रभाग,
शाहजहांपुर।

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1:– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ।
2:– वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक बरेली वृत्त बरेली।
3:– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0प्र0, आगरा को सूचनार्थ एंव इस आशय से प्रेषित कि संदर्भित पत्र के कम में दिये गये निर्देशानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि के अभिलेख परियोजना निदेशक, भा0रा0प्राधि0 बरेली को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीप प्रभाग,
शाहजहांपुर।

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 3347/11–सी, लखनऊ, दिनांक: अप्रैल 20 ,2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषय:– जनपद शाहजहाँपुर में निर्माण खण्ड प्रथम लोक निर्माण विभाग द्वारा अजीजगंज से चौहनापुर कांट मदनापुर मार्ग एवं एल0बी0 रोड से पढ़ैत्ता मोड़ मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु पेड़ों का आगणन कराये जाने के संबंध में।

सन्दर्भ:– उ0प्र0 शासन की पत्र सख्या–वी0आई0पी0–03/81–2–2023–36जी0/2022,दिनाक 10.02.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। विषयगत प्रकरण में उ0प्र0 शासन के संदर्भित पत्र के क्रम में वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली ने अपने पत्रांक–2678/14–1, दिनांक 20.02.2023 द्वारा आख्या इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है।

अतः उ0प्र0 शासन के संदर्भित पत्र के क्रम में वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की प्रति सहित इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या–3347/11–सी, दिनांकित।

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली।
2– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, शाहजहाँपुर।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।